



28/04/23

ई. मेल :- dforudraprayag@gmail.com

फोन / फैक्स नं :- +91-8126660575::

पता :- गाई की नदी निकट जवाही बाईपास रुद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

पत्रांक-
सेवा में,

3517 /

12-12 दिनांक

27/4/2023::

अधिशाली अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,

रुद्रप्रयाग।

विषय :-

जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जसोली-लादू देवता से मुनका मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.7825 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में।

PROPOSAL NO.-FP/UK/ROAD/9801/2015

सन्दर्भ :-

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय नई दिल्ली की पत्र संख्या-5-3/2011-FC (Vol-I) दिनांक 22.03.2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या-8वी0/यू0पी0सी0/06/17/2015/एफ0सी0/634 दिनांक 21.07.2017 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। विषयांकित प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुये 05 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है, किन्तु आतिथि तक विधिवत् स्वीकृति हेतु अपेक्षित है तथा प्रकरण में एन0पी0वी0 की धनराशि पुरानी दरों पर जमा की गई है। भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र से जारी दिशा-निर्देश के अनुसार ऐसे वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण जिनमें 06 जनवरी 2022 से पूर्व सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है तथा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्ति से पांच वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी विधिवत् स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है में एन0पी0वी0 की नई दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया जाना है। (प्रति संलग्न है)

भारत सरकार के उक्त पत्र से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में एन0पी0वी0 की नई दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का आकलन निम्न प्रकार है-

1.	ईको-क्लास श्रेणी	=	V th
2.	हरियाली का घनत्व (प्रतिशत)	=	0.2 (20%)
3.	एन0पी0वी0 की दर (प्रति है०)	=	10,05,210.00
4.	आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल (है०)	=	2.7825
5.	कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि (रुपये)	=	27,96,997.00
6.	पूर्व में जमा की गई एन0पी0वी0 धनराशि (रुपये)	=	-18,28,103.00
7.	वर्तमान में देय एन0पी0वी0 की धनराशि (रुपये)	=	9,68,894.00

(27,96,997.00-18,28,103.00) नौ लाख, अड़सठ हजार, आठ सौ चौरानबे मात्र की धनराशि कैम्पा कोष में जमा की जानी है।

अतः उक्त धनराशि जमा करने हेतु डिमांड नोट प्रेषित है। आंकलित धनराशि उच्च स्तर से सत्यापित होने के पश्चात् ही कैम्पा कोष में जमा करने के उपरान्त प्रकरण में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित राशियों की संशोधित अनुपालन आख्या बिन्दुवार/कॉलमवार मय संलग्नक चार प्रतियों में शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करें, ताकि प्रकरण का निस्तारण किया जा सके।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

197 श्री 1451

12/4/23

संख्या-
प्रतिलिपि :-

/ दिनांकित।

निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।
1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड, पौड़ी।

उप वन संरक्षक,

रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।